		(6) श्री सुरेश कुमार विश्वकर्मा, लिपिक सह रोकड़पाल दि0–12.3.11 से 31.3.12 तक
(च)	अंकक्षण में सहयोग देने वाले कर्मचारी का नाम एवं पदनाम–	1. श्री अशोक कुमार सिंह, प्रधान सहायक 2. श्री सुरेश कुमार विश्वकर्मा, लिपिक सह रोकड़पाल 3. श्री विजय कुमार गोंड, संविदा लेखापाल
(छ)	वरीय अंकेक्षकों का नाम एवं पदनाम :–	1. मो0 जावेद अनवर, व0अं0–2 2. श्री उदय शंकर, व0अं0–2
(ज)	अंकेक्षण प्ररंभण तिथि –	दिनांक–19.6.2013
(झ)	अंकेक्षण समापन तिथि –	16.1.2014
(ञ)	अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस–	69 कार्य दिवस
(ट)	अंकेक्षण में प्रस्तुत/अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–	परिशिष्ट ''क'' पर द्रष्टव्य।

(2) अंकेक्षण में क्षेत्र :–

(i) अंकेक्षण का प्रकार – सामान्य

(ii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग का आदेश संख्या एवं तिथि – पत्रांक 3286 दिनांक–15.9.60

(iii) कार्यालय का कार्यक्षेत्र – सदर स्तर एवं अनुमण्डलीय स्तर पर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना।

(iv) वित्तीय स्त्रोत :– आबंटन एवं जिला स्वास्थ्य समिति एवं रोगी कल्याण समिति, एन0आर0एच0एम0 के तहत प्राप्त राशि

(v) कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति – वर्ष 10–11 एवं 11–12 में गया कोषागार से जमा एवं निकासी राशियों का सत्यापन शत् प्रतिशत किया गया।

(vi) महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति – निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया।

(vii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने के कारण अनुपालन की समीक्षा नहीं की जा सकी।

(3) वित्तीय समीक्षा :–

(i) वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में प्राप्त आबंटन व्यय तथा प्रत्यार्पित/बचत राशि विवरण परिशिष्ट "ख" पर द्रष्टव्य हे। उक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि निकासी आबंटनान्तर्गत हुई थी। बचत राशि का प्रत्यार्पण पत्रांक 452, 253 दिनांक–31.3.11 एवं 30.3.12 द्वारा किया गया था जिसका सत्यापन अंकेक्षण में किया गया। रोगी कल्याण समिति, जननी बाल सुरक्षा योजना एवं परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति राशि से सम्बन्धित आय–व्यय विवरणी परिशिष्ट "ग" पर द्रष्टव्य। अंकेक्षणाधिन अवधि 2010–11 एवं 2011–12 में रोकड़ पुस्त का प्रारंभण एवं संवरण शेष निम्नवत था।

<u>स्थापना रोकड़ पुस्त</u>

प्रारम्भण	**संवरण**
1.4.10–1,97,305.00	31.3.12–1,19,110.00
1.4.11–1,19,110.00	31.3.12–5,21,421.90

<u>रोगी कल्याण समिति</u>

प्रारम्भण **संवरण**

बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार, पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 – 108 / 13–14

1. **परिचयात्मक :–**

(क)	अंकेक्षित लेखा का नाम –	सदर अस्पताल, गया।
(ख)	अंकेक्षण का लेखावधि –	वर्ष 2010–11 से 2011–12 तक
(ग)	प्रशासी विभाग का नाम –	स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।
(घ)	अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदाधिकारी का नाम, पदनाम तथा कार्यकाल–	उप निदेशक स्वास्थ्य सेवाऐं मगध प्रमंडल, गया।
(ङ)	अंकेक्षणाधिन अवधि में लेखा पदाधिकारीयों के नाम तथा कार्यकाल –	(1) डा0 कृष्ण कुमार सिंह, अधीक्षक 20.7.2009 से 8.7.2011 तक (2) डा0 दिलीप कुमार, अधीक्षक 9.7.2010 से 2.7.12 तक (3) श्री रामचरित्र चौधरी, प्रधान सहायक दि0–1.4.10 से 11.3.11 (4) श्री अशोक कुमार सिंह (प्रधान सहायक) 12.3.11 से 31.3.12 तक (5) श्री अजय कुमार, लिपिक सह रोकड़पाल दि0–1.4.10 से 11.3.11 तक

1.4.10—11,83,496	31.3.11—13,76,173.00
1.4.11—13,76,173	31.3.12—12,76,554.00

जननी बाल सुरक्षा योजना

प्रारम्भण	संवरण
1.4.10—30,92,709.00	31.3.11—18,71,809.00
1.4.11—18,71,809.00	30.9.11—4,07,639.00
1.10.11 — 4,07,639.00	

परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना

1.4.10—6,79,515.00	31.3.11—3,32,843.00
31.3.11—3,32,843.00	30.9.11—2,08,118.00

उपरोक्त योजना यथा जननी बाल सुरक्षा योजना एवं परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति येाजना का समेकित रूप से जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय द्वारा दिनांक–1.10.11 से समेकित रूप से अनुदान की राशि प्राप्त हुई जैसा कि विवरणी से स्पष्ट है। परिशिष्ट "ग" द्रष्टव्य

समेकित रूप से	समेकित रूप से संवरण शेष
दिनांक–1.10.11 का	31.3.12
प्रारंभण शेष — 4,07,639.00 (JBSY)	24,19,167.00
2,08,118.00 (F.P)	
6,15,757	

अंकेक्षण अवधि 2010–11 एवं 2011–12 में NRHM-Part B का रोकड़ पुस्त का संवरण शेष निम्नवत था –

NRHM Part – B			संवरण
1.4.10	–	8,06,267	31.3.11 – 7,93,916.00
11.3.11			
1.4.11	–	7,93,916.00	31.3.12 – 14,98,670.00

वर्ष – 2010–11 एवं 2011–12 में क्रमशः 1422 एवं 1676 बच्चों का जन्म इस अस्पताल में हुआ था वर्ष 10–11 एवं 11–12 में क्रमशः 748 एवं 490 व्यक्तियों का बंध्याकरण ऑपरेशन इस अस्पताल में किया गया था। बच्चा जननेवाली माताओं को एवं वन्ध्याकरण करवाने वाले व्यक्यिों का जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा प्राप्त जननी बाल सुरक्षा योजना एवं परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति राशि से प्रावधान के तहत भुगतान किया गया था। अंकेक्षण में मात्र रोगी कल्याण समिति (JBSY) एवं NRHM-Part B का 10–11 एवं 11–12 में जमा राशि का बैंक विवरण उपलब्ध कराया गया जिसका प्रारंभण एवं संवरण निम्नवत था।

रोगी कल्याण समिति इंडियन बैंक खाता सं0–540019506

प्रारम्भण शेष	सवंरण
1.4.10–18,96,031.00	31.3.11–14,31,138.00
1.4.11–14,31,138.00	31.3.12–14,04,978.00

NRHM Part – B संवरण

1.4.10 — 8,06,267 31.3.11 — 12,08,732.00

11.3.11

31.3.11 — 12,08,732.00 31.3.12 — 16,05,565.00

NRHM Part – B से सम्बन्धित रोकड़ पुस्त दि0–11.3.11 से संधारित किया गया था साथ ही बैंक खाता का संधारण भी दिनांक–11.3.11 से प्रारम्भण शेष पासबुक में 8,06,267.00 अंकित पाया गया।

JBSY – PNB, Gaya लेखा सं0–0179000100238214

2.4.11 का प्रारंभण शेष – 26,06,371.00

16.01.12 का संवरण शेष – 8,94,369.00

अंकेक्षण में स्थापना रोकड़ पुस्त के वर्ष 10–11 एवं 11–12 परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति राशि के रोकड़ पुस्त के वर्ष 10–11 एवं 11–12 में बैंक में जमा राशि का बैंक पासबुक या बैंक विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया इस कारण बैंक में जमा शेष राशि का बैंक में जमा होने की सत्यापन की जॉच नहीं की गई। उच्चाधिकारियों का ध्यान वर्ष 10–11 एवं 11–12 में रोकड़ पुस्तों के शेष राशि की बैंक में जमा होने की सत्यता की जाँच एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराने के लिए विभागीय सक्षम पदा0 का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(ii) भौतिक सत्यापन – वित्त (अंकेक्षण) विभागीय ज्ञापांक–503 दि0 29.1.76 के आलोक में अंकेक्षण में बार–बार मौखिक एवं लिखित आग्रह के बार भी संवरण शेष भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया क्योकि अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि को सहायक रोकड़ पुस्त का अद्यतन संधारण नही किया गया था एवं सामान्य रोकड़ पुस्त का संधारण अलग से नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। अतः प्रशासी विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है।

(4) अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त बल का व्योरा परिशिष्ट "ध" पर द्रष्टव्य है।

भाग –II

(5) निबन्धन शुल्क से प्राप्त राशि रू0 4050.00 का रोकड़ पुस्त एवं बैंक में जमा नहीं पाया जाना संभावित गबन।

वाध्य कक्ष में रोगियों से निबन्धन शुल्क से प्राप्त राशि की जाँच संगत लेखा अभिलेखों से करने पर पाया गया कि दिनांक–25.7.11 को निबन्धन शुल्क से कुल रू0 4050.00 की प्राप्ति हुई थी परन्तु उक्त प्राप्त राशि के विरूद्ध रोगी कल्याण समिति के रोकड़ पुस्त के आय पक्ष में अंकित किया गया था परन्तु योग में नहीं लिया गया एवं न तो बैंक पासबुक (खाता सं0–540019506 इंडियन बैंक, गया) और न ही नगद में ही जमा पाया गया और न व्यय ही किया गया था। निर्गत आपत्ति का अनुपालन नहीं लिया गया।

अतः उपरोक्त स्थिति में सुझाव दिया जाता है कि सम्बन्धित बैंक खाता में वर्ष 2011–12 की अवधि में अन्य राशियों के साथ रू0 4050.00 की राशि जमा की गयी है अथवा नहीं सुनिश्चित किया जाए। अन्यथा की स्थिति में इसे गबन मानते हुए तदनुसार विधि सम्मत कारवाई की जाय एवं की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय।

तत्काल रू0 4050.00 को संभावित गबन की श्रेणी में रखा जाता है।

(6) बैंक खाते एवं नगद में नहीं पाया जाना रू0 2,26,814.00 का सम्भावित गबन।

बाध्य कक्ष में रोगियों से निबंधन शुल्क एवं 108 एम्बुलेन्स से प्राप्त राशि की जाँच संगत लेखा अभिलेखों से करने पर पाया गया कि वर्ष 10–11 में निबन्धन शुल्क एवं 108 Ambulance से कुल रू0 3,29,671.00 की प्राप्ति हुई थी परन्तु उक्त प्राप्त राशि के विरूद्ध रोगी कल्याण समिति के बैंक खाता सं0 540019506 (बचत खाता) इंडियन बैंक से

सत्यापन करने पर पाया गया कि कुल प्राप्त राशि 3,29,671.00 के विरूद्ध 1,44,017.00 बैंक खाता में जमा पाया गया इस प्रकार कुल 3,29,671.00–1,44,017=1,85,654 रू0 बैंक खाता में कम जमा पाया गया।

इसी प्रकार वर्ष 11–12 की अवधि में निबन्धन शुल्क एवं 108 Ambulance से कुल 5,77,817.00 रू0 आय प्राप्त हुआ था परन्तु उक्त प्राप्त राशि के विरूद्ध रोगी कल्याण समिति के पासबुक में मात्र 5,36,657.00 रू0 जमा पाया गया। क्रमशः इस प्रकार प्राप्त आय के विरूद्ध 5,77,817–5,36,657=41,160 रू0 कम बैंक खाता में जमा पाया गया।

अतः वर्ष 10–11 एवं 11–12 में कुल रू0 2,26,814.00 (1,85,654+41,160=2,26,814) बैंक खाता में कम जमा पाया गया। अंकेक्षण में निर्गत आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया।

अतः रू0 2,26,814.00 गबन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रशासी विभाग का ध्यान जाँच हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्ति पर तद्नुसार कारवाई अपेक्षित है।

(7) वास्तविक व्यय से अधिक व्यय दिखाने जाने के कारण राशि रू0 900.00 वसूली योग्य :–

रोकड़ पुस्त NRHM Part – B के योग एवं संतुलन की जॉच में पाया गया कि दिनांक–1.3.12 को रोकड़ पुस्त के व्यय पक्ष में कुल व्यय का योग क्रमशः 84,758+1942=86,700 होना चाहिए परन्तु व्यय पक्ष में वास्तविक व्यय 86,700.00 के स्थान पर 87,600.00 अंकित किया गया इस प्रकार 87,600–86,700=900 रू0 अधिक व्यय दिखाये जाने के फलस्वरूप रोकड़ पुस्त के संवरण शेष में रू0 900.00 की कमी पाई गई। ऐसी स्थिति में राशि रू0 900.00 दोषी व्यक्ति से वसूलकर NRHM Part– B में खाते में जमा किया जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी दी जाय।

(8) रोगी कल्याण समिति के रोकड़ पुस्त में रू0 400.00 इस प्रविष्टी के कारण वसूली योग्य।

बाध्य कक्ष में रोगियों से निबन्धनशुल्क से प्राप्त राशि की जॉच संगत लेखा अभिलेखों से करने में पाया गया कि दिनांक– 23.7.11 को निवंधन शुल्क से कुल 1400.00 रू0 की प्राप्ति हुई थी परन्तु उक्त प्राप्त राशि के विरूद्ध रोगी कल्याण समिति के रोकड़ पुस्त में वास्तविक प्राप्त राशि से रू0 400.00 (1400–1000=400) कम प्रविष्टि पाई गई। इस सम्बन्ध में निर्गत आपत्ति का अनुपालन भी नहीं किया गया।

अतः रोगी कल्याण समिति के रोकड़ पुस्त में निबन्धन शुल्क की वास्तविक प्राप्त राशि से कम प्रविष्टि रू0 400.00 दोषी व्यक्ति से वसूल कर रोगी कल्याण समिति के खाते में जमा किया जाए एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जाय।

(9) जननी वाल सुरक्षा योजनाअन्तर्गत अनियमित भुगतान की गई राशि रू0 15,100.00 वसूली योग्य।

जननी बाल सुरक्षा योजनाअर्न्गत लाभार्थियों को किये गये भुगतान में पाया गया कि बच्चे को जन्म देने वाली माँ का मातृत्व पंजी (Maternity Register) में नाम अंकित नहीं था जिससे यह प्रमाणित हो कि बच्चे का जन्म इस अस्पताल में हुआ जबकि रोकड़ पुस्त एंव भुगतान पंजी में भुगतान अंकित किया गया था। इस प्रकार अनियमित भुगतान की गई राशि दोषी व्यक्ति से वसूली योग्य है। भुगतान से सम्बन्धित विवरणी निम्न प्रकार है।

क्र0	लाभार्थी का नाम	भुगतान पंजी क्रम सं0	रोकड़ पुस्त में भुगतान तिथि	भुगतान की गई रशि
1.	रिंकी देवी	43	20.4.10	1600.00
2.	सरिता देवी	73	5.5.10	1400.00
3.	सुमन देवी	170	8.6.10	1400.00
4.	आशा देवी	215	28.6.10	1000.00
5.	निर्मला देवी	228	30.6.10	1400.00

6.	जयमन्ती देवी	281	4.8.10	1400.00 300.00 (आशा कार्यकर्ता)
7.	पूनम देवी	360	12.8.10	1400.00
8.	जयमणी देवी	370	16.8.10	1400.00
9.	कान्ति देवी	395	16.8.10	1400.00
10.	सुधा देवी	56	9.5.11	1400.00
11.	पूजा देवी	83	9.5.11	1000.00
				15100.00

इस संबंध में निर्गत आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया जिससे उक्त दिखाया गया भुगतान संदिग्ध एवं अनियमित प्रतीत होता है।

अतः दोषी व्यक्ति से राशि वसूल कर जननी बाल सुरक्षा योजना के खाते में जमा किया जाए एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना दिया जाय।

(10) जननी बाल सुरक्षा योजना अन्तर्गत आशा कार्यकर्ता को भुगतान की राशि रू01200.00 वसूली योग्य।

जननी बाल सुरक्षा योजना अन्तर्गत आशा कार्यकर्त्ता को क्रमशः 600/– की दर से पुष्पा कुमारी एवं कंचन देवी को कुल 600+600=1200 रू0 का भुगतान जननी बाल सुरक्षा योजना भुगतान पंजी एवं रोकड़ पुस्त के पृष्ठ 140 दिनांक–10.2.12 में भुगतान की प्रविष्टी दर्ज की गई थी, परन्तु मातृत्व यानि बच्चा जनने वाली माँ का नाम भुगतान पंजी पर अंकित नहीं था जिससे यह प्रमाणित हो कि योजना के उधेश्य कीं पूर्ति हेतु आशा कार्यकर्त्ता द्वारा कार्य किया गया हो। इससे यह प्रमाणित होता है कि अनियमित एवं संदिग्ध भुगतान किया गया है।

इस संबंध में निर्गत आपत्ति का अनुपालन भी नहीं किया गया। अतः दोषी व्यक्ति से राशि वसूल कर जननी बाल सुरक्षा योजना के खाता में रू0 1200 जमा किया जाए एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी दी जाय।

(11) रोगी कल्याण समिति के रोकड़ पुस्त में रू0 200.00 क्रय प्रविष्टी के कारण वसूली योग्य।

वाध्य कक्ष में रोगियों से निबन्धन शुल्क से प्राप्त राशि की जाँच संगत अभिलेखों से करने पर पाया गया कि वर्ष 10–11 में दिनांक–16.7.10 को निबन्धन शुल्क से 2/रू0 प्रति रोगी से कुल 200 रोगियों से कुल रू0 400.00 प्राप्त किया गया था परन्तु प्राप्त राशि के विरूद्ध रोगी कल्याण समिति के रोकड़ पुस्त में वास्तविक प्राप्त राशि 400 के बदले रू0 200 (400–200) की प्रविष्टी पायी गई इस प्रकार 200.00 रू0 कम प्रविष्टी पायी गई। इस सम्बन्ध में निर्गत आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया।

अतः रोगी कल्याण समिति के रोकड़ पुस्त में निबन्धन शुल्क की वास्तविक प्राप्त राशि से कम प्रविष्टी रू0 200.00 दोषी व्यक्ति से वसूल कर रोगी कल्याण समिति के खाते में जमा किया जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी दी जाय।

(12) रोकड़ पुस्त में दोवारा अंकित भुगतान रू0 1050.00 वसूली योग्य ।

वर्ष 10–11 में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत भुगतान की गई राशि की जॉच में पाया गया कि उत्प्रेरको को रू0 1050.00 का भुगतान भिन्न–भिन्न तिथियों को किया गया था, विवरणी परिशिष्ट ''ड़'' पर द्रष्टव्य।

भुगतान पंजी के जिस क्रम संख्या का भुगतान किया जा चुका था पुनः उसी भुगतान पंजी के उसी क्रम संख्या का भुगतान रोकड़ पुस्त में विभिन्न तिथियों को दोबारा दिखाया या यानि एक ही व्यक्ति को रोकड़ पुस्त में दुबारा भुगतान दिखाया गया था जैसा की परिशिष्ट ''ड़'' पर दिखाए गए विवरणी से स्पष्ट है।

इस प्रकार रोकड़ पुस्त में एक ही व्यक्ति के लिए 1050.00 का दुबारा भुगतान दिखाया गया था। इस संबंध में निर्गत आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया।

अतः रोकड़ पुस्त में दुबारा दर्ज की गई भुगतान की राशि 1050.00 सम्बन्धित उत्तरदायी एवं दोषी व्यक्ति से वूसल कर परिवार नियोजन के खाते में जमा किया जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को दी जाय।

(13) वास्तविक दर से अधिक दर पर भुगतान की गई राशि कुल रू0 1100.00 वसूली योग्य।

वर्ष 11–12 में परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति राशि अन्तर्गत उत्प्रेरकों को किए गए भुगतान की जाँच संगत अभिलेखों से करने में पाया गया कि भिन्न–भिन्न तिथियों को उन्हें अनुमान्य दर रू0 150.00 प्रति उत्प्रेरकों से कुल 11 उ0प्रेरको को राशि कुल रू0 1650.00 का भुगतान किया जाना था, परन्तु रोकड़पुस्त में उक्त तिथियों को दर 250 प्रति उत्प्रेरकों को भुगतान रू0 2750.00 दर्ज किया गया था।

इस प्रकार रोकड़ पुस्त में वास्तविक अनुमान्य भुगतान से अधिक भुगतान रू0 1100.00 (2750–1650=1100) का अधिक भुगतान दर्ज किया गया जैसा कि परिशिष्ट "च" पर दिखाए गए विवरणी से स्पष्ट है। इस संबंध में निर्गत आपत्ति का अनुपालन भी नहीं किया गया।

अतः रोकड़ पुस्त मं वास्तविक भुगतान से अधिक भुगतान की रशि रू0 1100.00 सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्ति से वसूलकर परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति से सम्बन्धित खाते में जमा किया जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जाय।

(14) असमायोजित राशि रू0 766.00 समायोजन हेतु लम्बित।

रोगी कल्याण समिति रोकड़ पुस्त के व्यय पक्ष जाँच की में पाया गया कि श्री संजय कुमार अम्बष्ट, अस्पताल प्रबंधक को विभिन्न तिथियों को क्रमशः 22.12.11 एवं 1.2.12 को रू0 10,000+रू0 10,000=रू0 20,000 का भुगतान अग्रिम के रूप में किया गया

था। अग्रिम के विरूद्ध क्रमशः रू0 9719 एवं रू0 9515 कुल 19234.00 रू0 का अभिश्रव अंकेक्षण में उपलब्ध कराया गया। शेष राशि 20,000–19,234=766 रू0 का समायोजन अंकेक्षण अवधि तक लंबित रहा।

अतः श्री संजय कुमार अम्बष्ट, अस्पताल प्रबन्धक से कुल रू0 766.00 वसूल कर रोगी कल्याण समिति से सम्बन्धित बैंक खाता में जमा कर समायोजन किया जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय।

(15) साक्ष्य के अभाव में किया गया अनियमित भुगतान रू0 18,150/– राशि आपत्तिअन्तर्गत।

वर्ष 11–12 में परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति राशि के अन्तर्गत सर्जन को किए गए नगद भुगतान की जॉच संगत अभिलेखों से करने पर पाया गया कि भिन्न–भिन्न तिथियों को प्रावधान के तहत कुल रू0 18150/–नगद भुगतान किया गया था जैसा कि परिशिष्ट "छ" पर संलग्न विवरणी से स्पष्ट होता है। परन्तु अंकेक्षण में किस व्यक्ति को भुगतान किया गया, उससे सम्बन्धित अभिलेख साक्ष्य के रूप में यथा पावती रसीद उपलबध नहीं कराया गया जिससे भुगतान की वास्तविकता की जॉच नहीं की जा सकी।

अतः सक्षम पदाधिकारी उक्त भुगतान/व्यय की वास्तविकता की जॉच अपने स्तर से कर प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय तबतक उक्त व्यय की राशि रू0 18150.00 को आपत्तिअन्तर्गत रखी जाती है।

(16) साक्ष्य के अभाव में किया गया अनियमित भुगतान रू0 4530.00 आपत्तिअन्तर्गत।

वर्ष 10–11 में परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति राशि के अन्तर्गत ओ0टी0 असिस्टेन्ट को किए गए नगद भुगतान की जॉच संगत अभिलेखों से करने पर पाया गया कि दिनांक–26.6.10 को रू0 15/–की दर से 302 मरीजों के बन्ध्याकरण परिवार नियोजन में संलग्न कार्यो के लिए कुल रू0 302x15=4530 रू0 रोकड़ पुस्त के पृष्ठ सं0 75 पर दर्ज किया गया था, परन्तु अंकेक्षण में किस व्यक्ति को भुगतान किया गया उससे सम्बन्धित अभिलेख

यथापावती रसीद उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे भुगतान की वास्तविकता की जाँच नहीं की जा सकी।

अतः सक्षम पदाधिकारी उक्त भुगतान/व्यय की वास्तविकता की जॉच अपने स्तर से कर प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय, तबतक उक्त व्यय की राशि रू0 45130.00 को आपत्तिअन्तर्गत रखी जाती है।

(17) साक्ष्य में अभाव में किया गया अनियमित भुगतान रू0 3150.00 आपत्तिअन्तर्गत।

परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति राशि के अन्तर्गत उत्प्रेरक को किए गए नगद भुगतान की जॉच संगत अभिलेखों से करने पर पाया गया कि भिन्न–भिन्न तिथियों को उन्हें प्रावधान के तहत कुल रू0 3150.00 नगद भुगतान किया गया था, जैसा कि परिशिष्ट ''ज'' संलग्न विवरणी से स्पष्ट है। परन्तु अंकेक्षण में किस व्यक्ति को भुगतान किया गया उससे सम्बन्धित अभिलेख साक्ष्य के रूप में यथा पावती रसीद उपलब्ध नहीं कराया। साथ ही भुगतान पंजी पर राशि प्राप्त करने वाले का हस्ताक्षर भी नही पाया गया। इस संबंध में निर्गत आपत्ति का अनुपालन भी नहीं किया गया।

अतः सक्षम पदाधिकारी उक्त भुगतान/व्यय की वास्तविकता की जॉच अपने स्तर से कर प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय तबतक उक्त व्यय की राशि आपत्तिअन्तर्गत रखी जाती है।

(18) औचित्य के अभाव में किया गया अनियमित भुगतान रू0 29,040.00 आपत्तिअन्तर्गत।

शीर्ष 2210 के रोकड़ पंजी की जाँच में पाया गया कि दिनांक–1.7.10 को रोकड़ पंजी के पृष्ठ सं0 32 पर व्यय पत्र में श्री अजय कुमार, लिपिक को चेक सं0 279324 दि0 1.7.10 से कुल 29,040.00 रू0 का भुगतान दिखाया गया था। उक्त भुगतान श्री कुमार को किस मद से एवं किस कार्य हेतु किया गया था रोकड़ पंजी से स्पष्ट नहीं हुआ। इस संबंध में निर्गत अंकेक्षण आपत्ति के अनुपालन में भी न तो व्यय की स्थिति स्पष्ट की गई और न तो भुगतान का उधेश्य स्पष्ट कराया गया।

स्पष्ट है कि बिना उधेश्य एवं औचित्य का रोकड़ पुस्त में दिखाया गया व्यय को दुर्विनियोग की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।

अतः सराय पदाधिकारी उक्त भुगतान में उधेश्य एवं औचित्यता की जॉच कर प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय, तबतक रू0 29,040.00 के व्यय को आपत्तिअन्तर्गत रखा जाता है।

(19) साक्ष्य के अभाव में किया गया अनियमित भुगतान रू0 13,515.00 आपत्तिअन्तर्गत।

वर्ष 11–12 में परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति राशि के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि के रूप में उत्प्रेरक को किए गए नगद भुगतान की जॉच संगत अभिलेखो से करने पर पाया गया कि रोकड़ पुस्त पृष्ठ सं0 33 दिनांक–27.6.11 को रू0 13,515.00 व्यय अंकित किया गया था परन्तु अंकेक्षण में किस व्यक्ति को भुगतान किया गया उससे सम्बन्धित अभिलेख साक्ष्य के रूप में यथा पावती रसीद भुगतान पंजी आदि अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया इस संबंध में निर्गत आपत्ति का अनुपालन भी नहीं किया गया जिससे भुगतान की वास्तविकता की जॉच नहीं की जा सकी।

अतः सक्षम पदाधिकारी का उक्त भुगतान/व्यय की वास्तविकता की जॉच अपने स्तर से कर प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय, तबतक उक्त व्यय की राशि को आपत्तिअन्तर्गत रखा जाता है।

(20) अभिश्रव में अभाव में किया गया अनियमित भुगतान की राशि रू0 15,000.00 आपत्तिअन्तर्गत।

रोगी कल्याण समिति के अन्तर्गत वितीय वर्ष 11–12 में व्यय के भुगतान की राशि का संगत अभिलेखों से जाँच करने पर पाया गया कि श्री अशोक कुमार सिंह प्रधान लिपिक को दिनांक–11.11.11 को रोगी कल्याण समिति रोकड़ पुस्त के पृष्ठ सं0 48 पर रू0 15,000.00 भुगतान दर्ज किया गया था, परन्तु व्यय से सम्बन्धित अभिश्रव आदि

अंकेक्षण में अनुपलब्ध रहा। अंकेक्षण में इस संबंध में निर्गत आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया, जिससे व्यय की औचित्यता की जॉच नहीं की जा सकी।

अतः सक्षम पदाधिकारी उक्त भुगतान/व्यय की वास्तविकता की जॉच अपने स्तर से कर प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय। तबतक उक्त व्यय की राशि को आपत्तिअन्तर्गत रखा जाता है।

(21) अभिश्रव के अभाव में व्यय की राशि रू0 1,64,654.65 आपत्तिअन्तर्गत।

शीर्ष 2210 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 10–11 में भुगतान की राशि का संगत अभिलेखों से जॉच करने पर पाया गया कि गत 08–09 वर्ष पूर्व निकासी की गई राशि वर्ष 2010–11 में रोकड़ पुस्त के व्यय पक्ष में अंकित किया गया था परन्तु अंकेक्षण में उक्त व्यय से सम्बन्धित अभिश्रव अंकेक्षण में अनुपलब्ध रहा। व्यय से सम्बन्धित विवरणी निम्न प्रकार है :–

विपत्र सं0	व्यय की तिथि	रोकड़ पुस्त पृष्ठ सं0	व्यय की राशि
53/02–03	16.12.10	51	670.00
75/05–06	16.12.10	51	1.50
92/05–06	16.12.10	51	4463.65
119/05–06	16.12.10	51	117.50
120/05–06	16.12.10	51	1222.00
47/07–08	16.12.10	52	286.00
71/09–10	26.4.10	13	13465.00
72/09–10	26.4.10	15	1296.00
52/09–10	,, ,,	16	97000.00
50/09–10	,, ,,	17	27489.00

62/09–10	,, ,,	20	2953.00
63/09–10	,, ,,	21	15691.00

कुल – 1,64,654.65

अंकेक्षण में निर्गत आपत्ति का अनुपालन नही किया गया।

अतः अभिश्रव के अभाव में किया गया व्यय आपत्तिअन्तर्गत रखी जाती है।

विभागीय पदाधिकारी का ध्यान जॉच हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जताहै एवं जॉच के प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय।

(22) पथ्य (Diet) मद में भुगतान की राशि रू0 3,02,800.00 अभिश्रव के अभाव में आपत्तिअन्तर्गत।

शीर्ष 2210 अन्तर्गत पथ्य (Diet) मद में वित्तीय वर्ष 10–11 में भुगतान की राशि का संगत अभिलेखों से जॉच करने पर पाया गया कि पथ्य मद में कुल 3,02,800.00 का भुगतान मेसर्स शक्ति सेवा आश्रम, शेखपुरा, पटना को विभिन्न तिथियों में भुगतान दिखाया गया था परन्तु व्यय से सम्बन्धित अभिश्रव अंकेक्षण में अनुपलब्ध रहा जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :–

विपत्र सं0	भुगतान तिथि चेक सं0	रोकड़ पुस्त पृष्ठ सं0	भुगतान की राशि	फर्म का नाम जिसे भुगतान किया गया।
8/10–11	17.6.10 2793220	29	70,750.00	मेसर्स शक्ति सेवा आश्रम, शेखपुरा, पटना।
12/10–11	4.8.10 279325	37	51,050.00	,,

23/10–11	11.11.10 279330	45	46,400.00	,,
36/10–11	24.12.10 279335	53	1,34,600.00	,,

कुल – 3,02,800.00

अतः अभिश्रव के अभाव में किया गया व्यय आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती है, साथ ही उच्चाधिकारी का ध्यान जॉच हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है एवं जाँच के प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय।

(23) शीर्ष 2210 अन्तर्गत व्यय की राशि 6,58,874.00 अभिश्रव के अभाव में आपत्ति अन्तर्गत।

शीर्ष 2210 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में भुगतान की राशि का संगत अभिलेखों से जॉच करने पर पाया गया कि विभिन्न विपत्रों द्वारा राशि की निकासी कर कुल रू0 6,58,874.00 का व्यय विभिन्न तिथियों को रोकड़ पुस्त में दर्ज किया गया था, परन्तु व्यय से सम्बन्धित अभिश्रव अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे व्यय की औचित्यतता की जॉच नहीं की जा सकी। अंकेक्षण में निर्गत आपत्ति का अनुपालन भी नहीं किया गया। व्यय से सम्बन्धित विवरणी निम्न प्रकार है :–

विपत्र सं0	व्यय की तिथि	रोकड़ पुस्त पृष्ठ सं0	व्यय की राशि
36/10–11	24.12.10	53	1,34,600.00
–	7.1.11	55	0,33,400.00
73/10–11	15.3.11	72	25000.00
30/10–11	26.11.10	48	10000.00
88/10–11	30.3.11	84	1,80,000.00
90/10–11	30.3.11	84	4375.00
89/10–11	30.3.11	84	29368.00

91 / 10–11	30.8.11	85	1,14,900.00
92 / 10–11	,,	85	40900.00
107 / 10–11	9.5.11	89	29506.00
108 / 10–11	,,	,,	54425.00
109 / 10–11	,,	89	2400.00

कुल – 6,58,874.00

अतः अभिश्रव के अभाव में किया गया व्यय आपत्तिअन्तर्गत रखा जाता है साथ ही उच्चाधिकारी का ध्यान जॉच हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है एवं जॉच के प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय।

(24) सुझावात्मक :–

(क) <u>रोकड़ पुस्त का भौतिक सत्यापन आवश्यक</u>

बिहार कोषागार संहिता भाग–I में नियम 86 के आलोक में प्रत्येक माह के 15 एवं 30 तारीख को रोकड़ पुस्त के संवरण शेष का भौतिक सत्यापन आवश्यक है तथा यह भी प्रमाण अंकित करना आवश्यक है कि संवरण शेष में कोई भी राशि अंनावश्यक रूप से निकासी कर नहीं रखी गई है। परन्तु अंकेक्षण में रोकड़ पुस्त का भौतिक सत्यापन किया हुआ नहीं पाया गया।

अतः अंकेक्षण का सुझाव है उक्त नियम का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(ख) सूद की राशि रोकड़ पुस्त में लेखांकित करने के सम्बन्ध में सुझाव :–

NRHM Part-B शीर्ष अन्तर्गत रोकड़ पुस्त के आयपक्ष का मिलान बैंक पासबुक से करने पर पाया गया कि पासबुक में सूद की राशि 18,628.00 दिनांक–8.3.12 को जमा पक्ष में अंकित था परन्तु रोकड़ पुस्त के आय पक्ष में उक्त राशि को लेखांकित नहीं किया गया था जो बिहार कोषागार संहिता के नियम 86 (11) के प्रतिकूल है।

अतः अंकेक्षण का यह सुझाव है कि सूद को राशि को आय–पक्ष में लेखांकित कर रोकड़ पुस्त के संवरण शेष में सुधार किया जाय एवं किये गए अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय।

04/09/14

उप लेखा नियंत्रक
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार, पटना

मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का नाम एवं पदनाम

1. अशोक कुमार राकेश

परिशिष्ट – "क"

कंडिका– 1 "ट" से सम्बन्धित।

अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

<u>प्रस्तुत अभिलेख</u>

1. विपत्र पुस्त – 2010–11 एवं 2011–12
2. स्थापना रोकड़ पुस्त वर्ष 2010–11 एवं 11–12
3. रोगी कल्याण रोकड़ पुस्त वर्ष 2010–11 एवं 11–12
4. जननी बाल सुरक्षा योजना रोकड़ पुस्त वर्ष 2010–11 एवं 2011–12
5. परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति राशि रोकड़ पुस्त वर्ष 10–11 एवं 11–12
6. वेतन भुगतान पंजी वर्ष 10–11 एवं 11–12
7. आबंटन पंजी वर्ष 10–11 एवं 11–12
8. जननी वाल सुरक्षा योजना भुगतान पंजी वर्ष 10–11 एवं 11–12
9. परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति राशि भुगतान पंजी वर्ष 10–11 एवं 11–12
10. अभिश्रव 10–11 आंशिक रूप से
11. ,, 11–12
12. प्राप्त एवं वितरित दवा का भण्डार पुस्त वर्ष 10–11 एवं 11–12
13. आउटडोर निबन्धन पंजी वर्ष 10–11 एवं 11–12
14. लेबर रजिस्टर, इमरजेन्सी रजिस्टर वर्ष 10–11 एवं 11–12

15. पश्य (Diet) रजिस्टर दिनांक–11 जून से मार्च 12 तक

16. पश्य (Diet) अभिश्रव दिनांक–11 जून से मार्च 12 तक

17. दैनिक निबन्धन शुल्क प्राप्त पंजी

18. बैंक विवरणी रोगी कल्याण समिति

19. बैंक पासबुक JBSY

20. बैंक पासबुक – NRHM Part B

21. इन्डेंट रजिस्टर

22. मातृत्व पंजी (Maternity Register)

परिशिष्ट "क" कंडिका–1 "ट" से सम्बन्धित।

अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

1. अग्रिम पंजी
2. बैंक पासबुक / विवरणी स्थापना वर्ष 10–11 एवं 11–12
3. ,, ,, ,, परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना वर्ष 10–11 एवं 11–12
4. अभिश्रव (Diet) 1.4.10 से 10 जून 11 तक
5. अभिश्रव 2210 आंशिक रूप से
6. स्थायी सामग्रियों का भण्डार पुस्त वर्ष 10–11 एवं 11–12
7. महालेखाकार एवं वित्त (अंकेक्षण) विभाग का पूर्व का निरीक्षण प्रतिवेदन / अंकेक्षण प्रतिवेदन।
8. ओ0 टी0 रजिस्टर 2010–11 एवं 11–12
9. यात्रा पत्र (T.A) कार्यालय प्रति।

परिशिष्ट – 'ख'

कंडिका – 3 से सम्बन्धित।

कार्यालय –अधीक्षक सदर अस्पताल, गया

वित्तीय वर्ष – 2010–11 में शीर्ष 2210 हेतु आवंटन व्यय एवं प्रत्यार्पण विवरणी।

क्र0 सं0	मद का नाम	प्राप्त आवंटन की राशि	व्यय की राशि	शेष	प्रत्यार्पण की राशि	अभ्युक्ति
1.	वेतन एवं भत्ता	23300620.00	23272176.00	28444.00	28444.00	पत्रांक 452 दि0 31.3.11 द्वारा शेष राशिका प्रत्यार्पण
2.	पश्य	700000.00	458600.00	241400.00	241400.00	तदैव
3.	कार्यालय व्यय	60,000.00	23788.00	36212.00	36212.00	तदैव
4.	कर किराया महसूल	58,800.00	58800.00	0.00	0.00	तदैव
5.	विद्युत	1,80,000.00	1,80,000.00	0.00	0.00	तदैव
6.	यात्रा व्यय	40000.00	2400.00	37600.00	37600.00	तदैव
7.	वर्दी	62000.00	58874.00	3126.00	3126.00	तदैव

वित्तीय वर्ष –2011–12 में शीर्ष 2210 हेतु आवंटन व्यय एवं प्रत्यार्पण विवरणी।

क्र0 सं0	मद का नाम	प्राप्त आवंटन की राशि	व्यय की राशि	शेष	प्रत्यार्पण की राशि	अभ्युक्ति
1	वेतन एवं भत्ते	33101973.00	26537719.00	6564254.00	6564254.00	पत्रांक 253 दि0–30.3.12 द्वारा शेष राशि का प्रत्यार्पण किया गया।
2	पश्य	7,00,000.00	577400.00	1,22,600.00	1,22,600.00	
3	कार्यालय व्यय	15000.00	14874.00	126.00	126.00	तदैव
4	कर किराया महसूल एवं कर	10000.00	10000.00	0.00	0.00	तदैव
5.	विद्युत	2,00,000.00	2,00,000.00	00	00	तदैव
6.	यात्रा व्यय	15000.00	3000.00	12000.00	12000.00	तदैव
7.	वर्दी	5000.00	00	5000.00	5000.00	तदैव

परिशिष्ट –'ग' कंडिका– 3 से सम्बन्धित।

कार्यालय – अधीक्षक सदर अस्पताल, गया

रोगी कल्याण समिति का आय–व्यय विवरणी वर्ष –2010–11

पूर्व का शेष 1.4.10	वर्ष में प्राप्त राशि	कुल राशि	कुल व्यय	शेष राशि
11,83,496.00	3,29,971.00	15,13,167.00	1,36,994.00	13,76,173.00

रोगी कल्याण समिति का आय–व्यय विवरणी वर्ष–2011–12

पूर्व का शेष 1.4.10	वर्ष में प्राप्त राशि	कुल राशि	कुल व्यय	शेष राशि	अभ्युक्ति
13,76,173.00	5,77,817.00	1953990.00	6,74,436.00	1279554.00	

परिशिष्ट "ग" कंडिका– 3 से सम्बन्धित।

कार्यालय– अधीक्षक, सदर अस्पताल, गया।

जननी बाल सुरक्षा योजना वित्तीय वर्ष 2010–11 में प्राप्त आय एवं व्यय विवरणी।

पूर्व का शेष 1.4.10	वर्ष में प्राप्त आय	कुल राशि	कुल व्यय	शेष राशि	अभ्युक्ति
30,92,709.00	17,00,000.00	47,92,709.00	29,20,900.00	18,71,809.00	

जननी बाल सुरक्षा योजना का आय–व्यय विवरणी।

वित्तीय वर्ष – 11–12 (30.9.11 तक)

पूर्व का शेष 1.4.11	वर्ष में प्राप्त आय	कुल राशि	कुल व्यय	शेष राशि	अभ्युक्ति
18,71,809.00	–	18,71,809	14,64,170.00	4,07,639.00	

परिशिष्ट –'ग' कंडिका – 3 से सम्बन्धित।

कार्यालय –अधीक्षक, सदर अस्पताल, गया

परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना का आय–व्यय विवरणी वित्तीय वर्ष–2010–11

पूर्व का शेष 1.4.10	वर्ष में प्राप्त आय	कुल राशि	कुल व्यय	शेष राशि	अभ्युक्ति
6,79,515.00	15,72,490.00	22,52,005.00	19,19,162.00	3,32,843.00	

परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना का आय–व्यय विवरणी

वित्तीय वर्ष –2011–12 (30.9.11 तक)

पूर्व का शेष 1.4.11	वर्ष में प्राप्त आय	कुल राशि	कुल व्यय	शेष राशि	अभ्युक्ति
3,32,843.00	20,000.00	3,52,843.00	1,44,725.00	2,08,118.00	

परिशिष्ट –"ग" कंडिका – 3 से सम्बन्धित।

कार्यालय अधीक्षक, सदर अस्पताल, गया

परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना एवं जननी वाल सुरक्षा योजना का समेकित आय–व्यय विवरणी।

वित्तीय वर्ष –11–12 (दि0–1.10.11 से 31.3.12)

	पूर्व का शेष (30. 9.11)	वर्ष में समेकित रूप से आय	कुल राशि	कुल समेकित व्यय	शेष राशि	अभ्युक्ति
JB Say (जननी बाल सुरक्षा योजना)	4,07,639.00	49,58,150.00	55,73,907.00	31,54,740.00	2419167.00	
F.P परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना	2,08,118.00					

परिशिष्ट –'ग' कंडिका–3 से सम्बन्धित।

कार्यालय अधीक्षक सदर अस्पताल, गया

NRHM-PART B का आय–व्यय विवरणी वित्तीय वर्ष –2010–11

पूर्व का शेष 1.4.10	वर्ष में प्राप्त आय	कुल राशि	कुल व्यय	शेष राशि	अभ्युक्ति
8,06,267.00	4,47,500.00	12,53,767.00	4,59,851.00	7,93,916.00	Details of 8,06,267.00 Data operator Salary 45,000.00 ए0ए एम0 जी0 4,00,000.00 स्पीड मनी ऑफ–3,61,267.00 आर0 के0 एस0
NRHM-PART B का आय–व्यय विवरणी वित्तीय वर्ष –2011–12					
पूर्व का शेष 1.4.11	वर्ष में प्राप्त आय	कुल राशि	कुल व्यय	शेष राशि	अभ्युक्ति
7,93,916.00	10,13,222.00	18,07,138.00	3,08,468.00	14,98,670.00	

परिशिष्ट – "ध"

कंडिका– 04 से सम्बन्धित।

कार्यालय अधीक्षक, सदर अस्पताल, गया चिकित्सा कर्मचारियो का स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त बलों की सूची :–

कोटी	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
3	प्रधान लिपिक	1	1	–
	भण्डारपाल	1	0	1
	लिपिक	1	1	–
	एस0/एन0 ग्रेड ए	12	5	7
	फर्माशिस्ट	3	1	2
	लैब टेकनिशियन	4	2	2
	एक्स रे टेकनिशियन	1	0	1
	ओ0 टी0 असीस्टेन्ट	1	1	–
	ओपथैलमिक असिस्टेन्ट	1	1	–
	एम्बुलेन्स ड्राईवर	2	0	2
	ड्रेसर	12	4	8
	वार्ड अटेन्डेन्ट	20	20	–
	वाशरमैन	2	1	1
	नाईट गार्ड	1	0	1
	कुक	2	0	2
	कुक सर्वेन्ट	2	1	1
	गार्डेनर (माली)	1	1	–

	क्लीनर (खलासी)	1	1	—
	पिउन	1	1	—
	स्वीपर	17	17	—
		86	**58**	**28**

परिशिष्ट – "ध"

कंडिका–04 से सम्बन्धित।

कार्यालय अधीक्षक सदर अस्पताल, गया चिकित्सा पदाधिकारियों का स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त बलों की सूची :–

कोटी	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
II	उपाधीक्षक	1	0	1
	सामान्य चिकित्सक	1	1	–
	नेत्र रोग चिकित्सक	1	1	–
	सर्जन	2	2	–
	चर्म रोग विशेषज्ञ	1	0	1
	रेडियोलोजिस्ट	1	1	–
	पैथोलोजिस्ट	1	1	–
	शिशु रोग विशेषज्ञ	1	1	–
	महिला चिकित्सक	1	1	–
	मूर्हक	1	1	–
	एम0 ओ0 (ब्लड बैंक)	1	1	–
	दन्त चिकित्सक	1	0	1
		13	**10**	**3**

परिशिष्ट – "ड़"

कंडिका–11 से सम्बन्धित।

परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति राशि का दुबारा भुगतान से सम्बन्धित कुल रू0 1050.00 की विवरणी।

क्र0	भुगतान तिथि	भुगतान पंजी क्रम सं0/पृष्ठ सं0	दुबारा अंकित भुगतान तिथि	रोकड़ पुस्त पृष्ठ सं0	दर	वसूली योग्य राशि	अभ्युक्ति
1.	23.6.10	25/9	23.6.10	74/74	150.00	150.00	उत्प्रेरक को भुगतान किया गया।
2.	14.12.10	54/16	14.12.10	88/88	150.00	150.00	,,
3.	31.12.10	276/72	1.1.11	94/97	150.00	150.00	,,
4.	31.12.10	277/73	1.1.11	94/97	150.00	150.00	,,
5.	31.12.10	278/73	1.1.11	94/97	150.00	150.00	,,
6.	31.12.10	265/70	1.1.11	94/97	150.00	150.00	,,
7.	31.12.10	266/70	1.1.11	94/97	150.00	150.00	,,

कुल –1050.00

परिशिष्ट – "च"

कंडिका – 12 से सम्बन्धित।

क्र0	भुगतान पंजी क्रम सं0	रोकड़ पुस्त पृष्ठ सं0	भुगतान तिथि	भुगतीत राशि	वास्तविक भुगतान योग्य राशि	अन्तर राशि वसूली योग्य
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7 (5–6)**
1	73	41	30.7.11	250.00	150.00	100.00
2	75	,,	,,	250.00	150.00	100.00
3	76	,,	,,	250.00	150.00	100.00
4	77	,,	,,	250.00	150.00	100.00
5	78	,,	,,	250.00	150.00	100.00
6	79	,,	,,	250.00	150.00	100.00
7	81	,,	,,	250.00	150.00	100.00
8	82	,,	,,	250.00	150.00	100.00
9	85	,,	,,	250.00	150.00	100.00
10	86	,,	,,	250.00	150.00	100.00
11	87	,,	,,	250.00	150.00	100.00
			कुल–	**2750.00**	**1650.00**	**1100.00**

परिशिष्ट – "छ"

कंडिका – 14 से सम्बन्धित।

क्र0	भुगतान पंजी क्रम सं0	रोकड़ पुस्त पृष्ठ सं0	भुगतान तिथि	भुगतान की राशि	अभ्युक्ति
1	88 से 95	43	29.8.11	75X8=600	
2	96 से 111	44	11.9.11	75X16=600	
3.	114 से 117	45	18.9.11	75X4=300	
4.	118 से 126	46	26.9.11	75X9=675	
5.	128 से 131	47	29.9.11	75X4=300	
6.	137 से 146	I vol III	10.10.11	75X10=750	
7.	149 से 155	2 ,, ,,	22.10.11	75X7=525	
8.	160 से 166	2 ,, ,,	,, ,,	75X7=525	
9.	167 से 168	3 ,, ,,	15.11.11	75X2=150	
10.	170 से 172	3 ,, ,,	,, ,, ,,	75X3=225	
11.	175 से 182	3 ,, ,,	,, ,, ,,	75X8=600	
12.	183 से 253	4 vol III	22.11.11	75X71=5325	
13.	254	6 ,, ,,	30.11.11	75X1=75	
14.	256	,, ,, ,,	,, ,,	75X1=75	
15.	257 से 260	,, ,, ,,	,, ,,	75X4=300	
16.	263 से 269	,, ,, ,,	,, ,,	75X7=525	
17.	277 से 278	,, ,, ,,	,, ,,	75X2=150	
18.	288 से 293	,, ,, ,,	,, ,,	75X6=450	

19.	295 से 296	,, ,, ,,	,, ,,	75X2=150	
20.	313 से 316	7 ,, ,,	9.12.11	75X4=300	
21.	319	,, ,,	,, ,,	75X1=75	
22.	327 से 329	,, ,,	,, ,,	75X3=225	
23.	333	,, ,,	,, ,,	75X1=75	
24.	334 से 335	,, ,,	,, ,,	75X2=150	
26.	342 से 361	9 ,,	20.12.11	75X20=1500	
27.	402 से 409	,, ,,	29.12.11	75X8=600	
28.	333 से 340	,, ,,	31.12.11	75X8=600	
29.	440 से 445	12 ,,	4.1.12	75X6=450	
30.	447 से 448	,, ,,	4.1.12	75X2=150	
31.	452 से 460	13 ,,	7.1.12	75X8=600	
32.	468 से 474	16 ,,	14.1.12	75X7=525	

कुल – 18,150/–

परिशिष्ट – "ज"

कंडिका – 16 से सम्बन्धित।

क्र0 सं0	भुगतान पंजी क्रम सं0	रोकड़ पुस्त पृष्ठ सं0	भुगतान तिथि	भुगतान की गई राशि	अभ्युक्ति
1.	303	92	27.12.10	150.00	भुगतान पंजी पर उत्प्रेरक द्वारा राशि प्राप्त नहीं किया गया था।
2.	304	92	27.12.10	150.00	
3.	305	"	"	150.00	
4.	319	"	"	150.00	
5.	466	14 vol II	4.2.11	150.00	
6.	506	" "	4.2.11	150.00	
7.	534	" "	24.2.11	150.00	
8.	617	" "	" "	150.00	
9.	74	14 vol III	30.7.11	150.00	
10.	80	" "	" "	150.00	
11.	83	" "	" "	150.00	
12.	84	" "	" "	150.00	
13.	118 से 126	46 "	26.9.11	1350.00 (150X9)	

कुल –3150.00